राजस्थान राज्य

बनाम

चांदा@चांदकोरी और अन्य

24 सितंबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

दण्ड परिक्रया संहिता, 1973:

दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्रा एक अप्रकट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। आयोजितः आवेदन का निपटारा करते समय दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि उच्च न्यायालय को विवेक का सम्यक प्रयोग कर एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए -क्योंकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय के आदेश को रदद कर दिया गया और विवेक का सम्यक प्रयोग करते हुए उसे मामला वापिस भेज दिया गया है।

विलंब- सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करने में-260 दिनों की देरी को माफ करना - आयोजितः आम तौर पर न्यायालय इतनी लंबी देरी को माफ नहीं करेगा- इस तरह की देरी पक्षकारों को गंभीर अन्याय होने का कारण बनती है।

पक्षकार-तथापि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, देरी को माफ कर दिया गया-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिताः आपराधिक अपील सं 1293/ 2007

(डी. बी. में जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय के 2005 की अपील सं. 165 में न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से मनीष कुमार और अंसार अहमद चौधरी।

बी. एस. जैन, अजय वीर सिंह, ममता जैन, नेहा तिवारी और डॉ. विपिन गुप्ता

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया थाः

हमने पक्षों के लिए विद्वान वकीलो को सुना है।

देरी को माफ कर दिया गया।

अनुमति दे दी गई।

यह अपील 260 दिनों से समय द्वारा वर्जित है। आम तौर पर हम इतने लंबे विलम्ब को माफ नहीं कर सकते हैं, और हम इस न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने में हुई देरी की सराहना नहीं करते हैं। इस तरह की देरी पक्षकारों को गंभीर अन्याय होने

का कारण बनती है। हालांकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितयों को देखते हुए, हम देरी को माफ करते हैं। यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा डी.बी. में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 14 जुलाई 2005 के विरूद्ध निर्देशित है। 2005 की अपील संख्या 165, डी. बी. आपराधिक अनुमति जिसके तहत उच्च न्यायलाय की खंडपीठ ने उचित कारण बताए बिना और सम्यक विवेक का प्रयोग किए बिना दोषमुक्ति के निर्णय के खिलाफ अपील करने की अनुमित के आवेदन को खारिज करते हुए एक अप्रकट आदेश पारित किया गया था। जबकि दोषमुक्ति किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन का निपटारा करते समय, यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च न्यायालय को सम्यक विवेक का प्रयोग करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए। बेशक उक्त आदेश को पूर्ण निर्णय जितन विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम संक्षेप में कुछ कारण बताये जाने चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 जुलाई 2005 के विवादित आदेश को कायम नहीं रख सकते। हम उच्च न्यायालय के आदेश को रदद करते हैं और सम्यक विवेक दिखाने के बाद आदेश पारित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज देते हैं।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रशान्त पूनिया, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।